8914

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 253385

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण (विक्रय–पत्र)

1– भूमि का प्रकार – कृषि

2– वार्ड परगना –

3– मौहल्ला / ग्राम – काशी

4– सम्पत्ति का विवरण – खसरा संख्या 1168 का 1/2 भाग

5– सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.6315 हैक्टेयर

6– सडक की स्थिति – ग्राम काशी से उत्तर की ओर कच्चे मार्ग से 1800 मी0 दूरी पर

7– प्रतिफल की राशि – अंकन 74,00,000/– (केवल चौहत्तर लाख रुपये)

8–सर्किल रेट के अनुसार मालियत – अंकन 69,46,500/–(केवल उन्हैत्तर लाख छियालिस हजार पाच सौ रुपये) अन्य प्रयोजन हेतु।

क्रमशः 2

175

100

[illegible]

27-4-11

BISHNOI
ADVOCATE

VIPIN KUMAR BISHNOI
ADVOCATE

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 253382

23 APR 2011

(2)

प्रथम पक्ष की संख्या – 1

श्रीमती कमलेश

पत्नी श्री विजेन्दर सिंह

निवासी ग्राम अच्छरोंडा, परगना

तहसील व जिला मेरठ।

व्यवसाय :– गृहणी

द्वितीय पक्ष की संख्या –1

मैसर्स श्री कृष्णा एन्टरप्रयोनर्स 114–करियप्पा स्ट्रीट

मेरठ कैन्ट द्वारा प्रबन्धक श्री कमल दत्त शर्मा

पुत्र श्री हरिदत्त शर्मा

निवासी 1528/1, इन्द्रा नगर, मेरठ शहर

व्यवसाय :– अन्य

विकय पत्र

विकय पत्र :– अंकन 74,00,000/– (केवल चौहत्तर लाख रूपये)।

स्टाम्प शुल्क 100/– रूपयें ।

सम्मिलित स्टाम्प शुल्क 5,18,000/– रूपयें ।

एडजैस्टमैन्ट फीस अंकन 100/–

कुल स्टाम्प शुल्क 5,18,100/– रूपये ।

जो कि विकेता द्वारा खसरा संख्या 1168 क्षेत्रफल 1.2630 हैक्टे0 स्थित ग्राम काशी परगना तहसील व जिला

कमलेश

कनश: 3

मेरठ जिस पर लगान 45.45 पैसे देय है, का एक बटा दो भाग यानि 0.6315 हैक्टे0 होता है। विक्रीत भूमि खसरा संख्या 1168 स्थित ग्राम काशी परगना तहसील व जिला मेरठ के एक बटा दो भाग के भूमिधर, पूर्ण स्वामी व पूर्णतः अधिकारी, मालिक विक्रेत्री उपरोक्त है। विक्रेत्री अपने कुल हक व हिस्से को विक्रय करने का अनुबन्ध अंकन रूपये 74,00,000/-(केवल चौहत्तर लाख रूपये) मे मैसर्स श्रीकृष्णा एन्टरप्रयोनर्स 114, करियप्पा स्ट्रीट मेरठ कैन्ट द्वारा प्रबन्धक श्री कमल दत्त शर्मा पुत्र श्री हरि दत्त शर्मा निवासी 1528/1, इन्द्रानगर, मेरठ से द्वारा रजिस्टर्ड इकरारनामा कब्जा सहित लिखित दिनांक 15-11-2010 जिसका पंजीकरण बही न0 1 जिल्द 6345 के पेज संख्या 397 से 456 पर कम संख्या 13538 पर दिनांक 15-11-2010 को सब रजिस्ट्रार मेरठ तृतीय के यंहा पर हुआ हैं और अनुबन्धकर्ता मैसर्स श्रीकृष्णा एन्टरप्रयोनर्स 114, करियप्पा स्ट्रीट मेरठ कैन्ट ने इच्छा व्यक्त की है कि इकरारनामा दिनांक 15-11-2010 के अनुसार उपरोक्त भूमि का बैनामा उसके पक्ष में कर दिया जाये।

विक्रीत भूमि आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त एवं रहित हैं जिसकी जमानत पर विक्रेत्री ने कोई ऋण किसी बैंक, सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था या व्यक्ति से प्राप्त नही किया हैं। उपरोक्त भूमि को विक्रयपत्र आदि द्वारा हस्तांतरित करने के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। और कोई कानूनी दोष बाधक नहीं हैं। अतः उपरोक्त खसरा संख्या 1168 क्षेत्रफल 1.263 हैक्टे0 का एक बटा दो भाग यानि 0.6315 हैक्टे0 यानि अपने कुल हक व हिस्से को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, किसी भी अधिकार व स्वत्व को अपने पास रोके बिना चाहे उसका वर्णन इस विक्रय-विलेख मे किया गया हो अथवा न किया गया हो स्वस्थ मस्तिष्क एवं निर्मल इन्द्रियों की दशा में अंकन 74,00,000/-(केवल चौहत्तर लाख रूपये), कि जिसके आधे अंकन 37,00,000/- (केवल सैतीस लाखरूपये) होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष मे **मैसर्स श्रीकृष्णा एन्टरप्रयोनर्स 114, करियप्पा स्ट्रीट मेरठ कैन्ट द्वारा प्रबन्धक श्री कमल दत्त शर्मा पुत्र श्री हरि दत्त शर्मा निवासी 1528/1, इन्द्रानगर, मेरठ** को विक्रय कर दी हैं और बेच डाली है और समस्त विक्रय मूल्य बवक्त अनुबन्ध एवं बैनामा केता से निम्नलिखितानुसार प्राप्त करके उपरोक्त भूमि-भूमिधरी को विधिक रूप से हस्तान्तरित कर दी तथा उनको व्यक्तिगत स्वामी, भूमिधर एवम् वास्तविक अधिकारी बना दिया हैं एवं अपने अधिकार स्वामित्व एवम् अधिपत्य से निकालकर केता के अधिकार स्वामित्व एँवम् अधिपत्य व कब्जे में पूर्व में ही अनुबन्ध दिनांक 15-11-2011 के अनुसार दे दी थी और अब मुझ विक्रेत्री का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का विक्रीत भूमि-भूमिधरी से शेष नही रहा हैं और न भविष्य में होगा। केता दाखिल खारिज कराकर कागजात सरकारी एवं राजस्व विभाग में अपना नाम भूमिधर व पूर्ण स्वामी के रूप में अंकित करा लेने के अधिकारी रहेंगें, यदि कागजात माल में नाम अंकित कराने के सम्बन्ध में अगर हमारी कहीं पर भी कभी भी उपस्थिति एवं सहमति या दस्तखतों वगैरा की आवश्यकता होगी तो उसमें हमारी कोई आपत्ति

कमलेश

कमशः 5

विक्रेता

Registration No.: 8915 Year : 2,011 Book No. : 1

0101 कमलेश कमलेश

विजेन्दर सिंह

अच्छरोंडा मेरठ वोटरकार्ड

मेरठ के एक बटा दो भाग का इकरारनामा कब्जा सहित लिखित दिनाक 15–11–2010 जिसका पंजीकरण बही न0 1 जिल्द 6345 के पेज संख्या 397 से 456 पर क्रम संख्या 13538 पर दिनाक 15–11–2010 को सब रजिस्ट्रार मेरठ तृतीय के यंहा पर हुआ हैं, क्रेता के पक्ष में पंजीकृत कराया गया, जिस पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से अंकन 5,18,000/–(केवल पांच लाख अठारह हजार रूपये) का स्टाम्प अदा किया गया था, चूकि इकरारनामा कब्जा सहित दिनांक 15–11–2010 पर सम्पूर्ण स्टाम्प (विक्रय पत्र पर दिया जाने वाला सम्पूर्ण 7 प्रतिशत स्टाम्प) अदा कर दिया गया था। अतः इस बैनामें नें अंकन 5,18,000/–(केवल पांच लाख अठारह हजार रूपयें) का स्टाम्प एडजस्ट कर केवल अंकन 100/– (केवल सौ रूपये) के स्टाम्प पर बैनामें की कार्यवाही पूर्ण की जा रही है।

विक्रीत भूमि–भूमिधरी खसरा संख्या 1168 क्षेत्रफल 1.263 हैक्टे0 स्थित ग्रान काशी परगना, तहसील व जिला मेरठ जिस पर लगान 45.45 पैसे देय है, का एक बटा दो भाग यानि 0.6315 हैक्टे0 भूमि खेती की भूमि हैं और समस्त राजस्व अभिलेखो में कृषि भूमि के रूप में अकिंत हैं विक्रीत भूमि मुख्य सडक से हटकर काफी पीछे के क्षेत्र में जंगल के एरिये में स्थित हैं और मौके पर खेती हो रही है। जो किसी भी लिंक या मुख्य सडक पर नही हैं, तथा नगर निगम की सीमा के अन्दर हैं। उपरोक्त भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु सर्किल रेट जिला कलैक्टर /मजिस्ट्रेट मेरठ द्वारा दिनांक 10–08–2010 को मेरठ तहसील क्षेत्र तृतीय कार्यालय हेतु जारी सर्किल रेट की सूची में पेज संख्या 10 पर दर्शित तालिका में क्रम संख्या 6 पर दिये गये ग्राम काशी के लिये अंकन 1,10,00,000/– रूपये प्रति हैक्टे0 निर्धारित किया गया है जो वर्तमान में प्रचलित है तथा संलग्न सामान्य निर्देश की धारा–20, 21, 23, 25 (विक्रय अनुबन्ध धारा) व 27 (प्रपत्र धारा) का सत्यतापूर्वक पालन किया गया है। जिसकी सर्किल रेट के अनुसार अंकन 69,46,500/– की मालियत बैठती है चूकि दोनो पक्षो के बीच लेन देन अंकन रूपये 74,00,000/– रूपये का हो रहा है। इसलिये अंकन रूपये 74,00,000/– (केवल चौहत्तर लाख रूपये) पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से अंकन 5,18,000/– रूपये का स्टाम्प अदा किया जाना है जोकि पूर्व में इकरारनामा कब्जा सहित लिखित दिनांक 15–11–2010 पर क्रेता द्वारा अदा कर दिया गया है। अतः अंकन 100/– रूपये पर विक्रय पत्र निष्पादित किया जा रहा है। विक्रीत भूमि की किस्म जमीन सेवटा हैं। विक्रेतागण–क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है।

विक्रय पत्र ओर से **श्रीमती कमलेश पत्नी श्री विजेन्दर सिंह निवासी ग्राम अच्छरोन्डा परगना तहसील व जिला मेरठ के :–**

जोकि भूमि–भूमिधरी खसरा संख्या 1168 क्षेत्रफल 1.263 हैक्टे0 स्थित ग्राम काशी परगना, तहसील व जिला

कमलेश

क्रमशः 4

7,400,000.00/ 6,946,500.00

विक्रय पत्र

प्रतिफल मालियत

10,000.00 20 10,020.00 1,000

फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्रीमती कमलेश कमलेश

पत्नी श्री बिजेन्दर सिह

व्यवसाय

निवासी स्थायी अच्छरोंडा मेरठ वोटरकार्ड

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/7/2011 समय 12:05PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

कमलेश

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0 पी0 मिश्र
उपनिबन्धक तृतीय
मेरठ
11/7/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्रीमती कमलेश कमलेश
पत्नी श्री विजेन्दर सिह
पेशा
निवासी अच्छरोंडा मेरठ वोटरकार्ड

क्रेता

मै0 श्री कृष्णा एन्टरप्रायोनर्स द्वारा श्री कमल दत्त शर्मा
हरिदत्तशर्मा
पेशा
निवासी 1528/1 इन्द्रा नगर मेरठ वोटरकार्ड

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

प्रदीप कुमार
जगबीर सिह
पेशा
निवासी किसोली बु0शहर

व श्री रतन सिह
पुत्र श्री जी आर सिह
पेशा
निवासी इन्द्रा नगर मेरठ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0 पी0 मिश्र
उपनिबन्धक तृतीय
मेरठ
11/7/2011

व गैर हाजिरी नही होगी। यदि अब अथवा भविष्य मे विक्रीत भूमि–भूमिधरी अथवा उसका अंश किसी भी वैधानिक त्रुटिवश अथवा दोषवश केता के अधिकार स्वामित्व एवम् अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या कोई ऋण या भार विकीत भूमि– भूमिधरी पर पाया जायेगा अथवा विकेत्री के किसी जानिशान, वारिसान, सन्तान, या परिवारजन, सदस्य नाते–रिश्तेदार अथवा अन्य किसी के द्वारा कोई क्लेम या अधिकार जताने या वाद दायर कर देने पर, केता को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये धन चुकता करना पड़ जायेगा या विकयपत्र मिलकियत में कमी पाये जाने के कारण किसी न्यायालय द्वारा गलत सिद्व हो जायेगा तो प्रत्येक ऐसी दशा मे केता को अधिकार प्राप्त होगा कि अपना समस्त विकय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी भी दशा हो मय सभी प्रकार की क्षति व खर्चा बैनामा मय लागत तथा मय ब्याज बाजारी व वाद व्यय सहित मुझ विकेत्री एवं मेरे उत्तराधिकारीगणों की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार उचित जाने वसूल कर लें जिसमें मुझ विकेत्री या मेरे उत्तराधिकारियों को या अन्य किसी को कोई आपत्ति नही होगी। यह विकय विलेख पूर्णतया उचित वैधानिक एवम् सर्वमान्य हैं और प्रयोग होने योग्य हैं। अतः यह विकयपत्र लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो।।(इति)

विवरण प्राप्ति मूल्यः–

(1) अंकन 5,00,000/–(केवल पॉच लाख रूपये) द्वारा चैक संख्या 520275 दिनांक 20–10–2010 मौसूमा आई0डी0बी0आई0 बैंक, शाखा शास्त्री नगर मेरठ बवक्त इकरारनामा प्राप्त किया।

(2) अंकन 5,00,000/–(केवल पॉच लाख रूपये) द्वारा चैक संख्या 017475 दिनांक 16–11–2010 मौसूमा आई0डी0बी0आई0 बैंक, शाखा शास्त्री नगर मेरठ बवक्त इकरारनामा प्राप्त किया।

(3) अंकन 4,00,000/–(केवल चार लाख रूपये) द्वारा चैक संख्या 017477 दिनांक 20–11–2010 मौसूमा आई0डी0बी0आई0 बैंक, शाखा शास्त्री नगर मेरठ बवक्त इकरारनामा प्राप्त किया।

(4) अंकन 5,00,000/–(केवल पॉच लाख रूपये) द्वारा चैक संख्या 017491 दिनांक 30.12.2010 मौसूमा आई0डी0बी0आई0 बैंक, शाखा शास्त्री नगर मेरठ प्राप्त किया।

(5) अंकन 55,00,000/–(केवल पचपन लाख रूपये) द्वारा डी0डी0/पे–आर्डर संख्या 001702 दिनांक 11.07.2011 मौसूमा आई0डी0बी0आई0 बैंक, शाखा शास्त्री नगर मेरठ प्राप्त किया।

गवाह:

1. S. Kumar
Shailesh Kumar S/o Sh. Satbir Singh.
R/o Vill + Po- Kishali Bulandshahr

(विकेत्री)

2. [signature]

(केता)

लिखित दिनांक 11–07–2011 मसविदा श्री विपिन कुमार बिश्नोई एडवोकेट, मेरठ

क्रेता

Registration No. : 8915 Year : 2,011 Book No. : 1

0201 मै0 श्री कृष्णा एन्टरप्राइजेज द्वारा श्री कमल दत्त शर्मा
हरिदत्तशर्मा
1528/1 इन्द्रा नगर मेरठ वोटरकार्ड

रजिस्ट्रेशन अधिनियम –1908 की धारा 32–ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस

प्रस्तुतकर्ता विक्रेता का नाम व पता : श्रीमती कमलेश पत्नी श्री विजेन्दर सिंह निवासी ग्राम अच्छरोन्डा परगना तहसील व जिला मेरठ वास्ते खसरा संख्या 1168 क्षेत्रफल 1.2630 हैक्टे0 स्थित ग्राम कौशी परगना तहसील व जिला मेरठ का एक बटा दो भाग अर्थात अपना कुल हक व हिस्सा।

बायें हाथ की अगुलियों के चिन्ह

दाहिने हाथ की अगुलियों के चिन्ह : –

प्रस्तुतकर्ता विक्रेता का नाम व पता : मैसर्स श्रीकृष्णा एन्टरप्रयोनर्स 114, करियप्पा स्ट्रीट मेरठ कैन्ट द्वारा प्रबन्धक श्री कमल दत्त शर्मा पुत्र श्री हरि दत्त शर्मा निवासी 1528 / 1, इन्द्रानगर, मेरठ

बायें हाथ की अगुलियों के चिन्ह

दाहिने हाथ की अगुलियों के चिन्ह : –

कमलेश

Kamal Datt

आज दिनांक **11/07/2011** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **6941**

पृष्ठ सं. **251** से **266** पर क्रमांक **8915**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0 पी0 मिश्र

उपनिबन्धक तृतीय

मेरठ

11/7/2011

CO no 13538/10/-

[illegible] 5180000-100 =5179000/-

स्टाम्प .... 740000/- 6946500/-

[illegible] 900/- ...... रुपये

[illegible] स्टाम्प

.... 518100/- ....

[illegible]

[illegible] 11-7-11

नक्शा नजरी

बैनामा मालियत /बाजारी मालियत ....अंकन 74,00,000/– रूपये

विकेता का नाम व पता: श्रीमती कमलेश पत्नी श्री विजेन्दर सिंह निवासी ग्राम अच्छरोन्डा परगना तहसील व जिला मेरठ।

केता का नाम व पता: **मैसर्स श्रीकृष्णा एन्टरप्रयोनर्स 114, करियप्पा स्ट्रीट मेरठ कैन्ट द्वारा प्रबन्धक श्री कमल दत्त शर्मा पुत्र श्री हरि दत्त शर्मा निवासी 1528/1, इन्द्रा नगर मेरठ**

सम्पत्ति स्थित मौजा .... ग्राम कॉशी ....

विकीत प्लाट/भवन/दुकान/खसरा संख्या ..खसरा संख्या 1168 क्षेत्रफल 1.263 हैक्टे० स्थित ग्राम काशी परगना, तहसील व जिला मेरठ जिस पर लगान 45.45 पैसे देय है, का एक बटा दो भाग यानि 0.6315 हैक्टे०

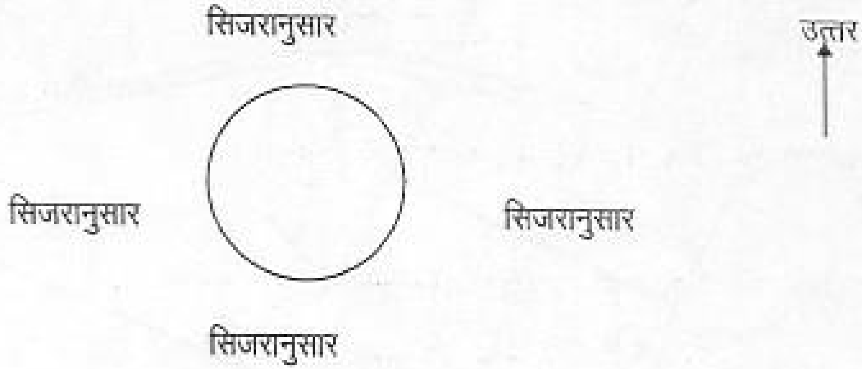

विकीत भूमि की 50 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. नाम सड़क ....कोई नहीं...
2. आवासीय/वाणिज्यक भूमि/ भवन /आद्यौगिक ....कोई नहीं ....
3. शैक्षिक /धर्माथ /स्वास्थय केन्द्र ....कोई नहीं ....
4. आद्यौगिक संस्थान /कोल्ड स्टोरेज ....कोई नहीं ....
5. गैस गोदाम /पैट्रोल पम्प / बस अड्डा ....कोई नहीं.....
6. होटल रैस्टोरैन्ट /मनोरंजन केन्द्र ....कोई नहीं.......................
7. सरकारी /अर्द्ध सरकारी /निगमित कार्यालय ....कोई नहीं................................
8. अन्य ....कोई नहीं ....

घोषणा : – किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अकित नहीं किया गया है। उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

दिनांक : 11–07–2011

ह

हस्ताक्षर केता

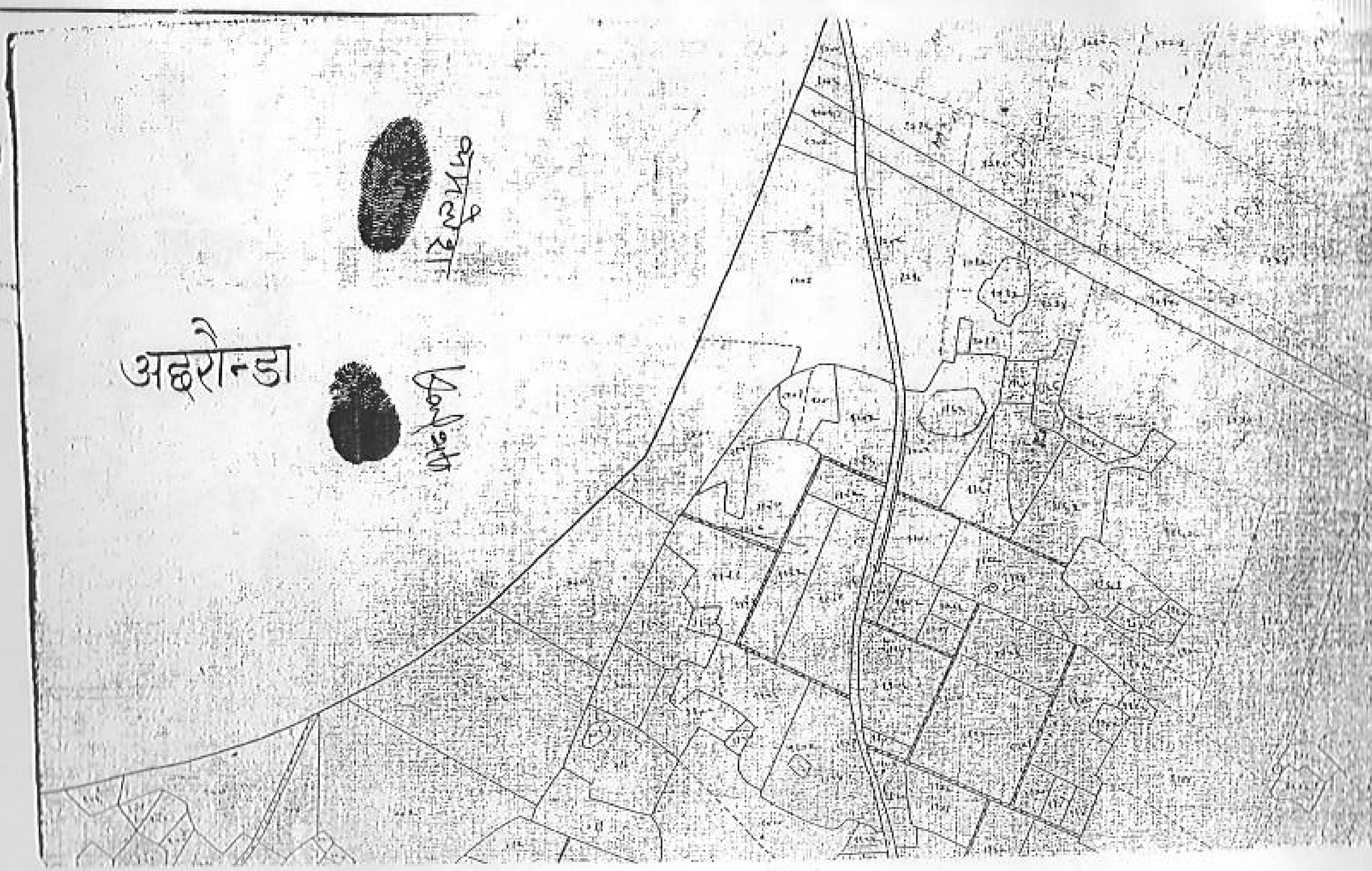
अछरौन्डा